

कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर
(प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

क्रमांक :- के.वि.के./अजमेर/2019/

दिनांक 24.09.2019

सीमित निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर में 2019-20 वर्ष में प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लाने ले-जाने हेतु एक मिनी बस (20 सीटर) व बस (45 सीटर) पुश्त बँक सीट वाली किराये हेतु आवश्यकता है। इस कार्य के इच्छुक फंजीकुल ट्रेवल एजेंसियों / बस मालिकों से निर्धारित प्रपत्र में प्रोहरबंद निविदाएं दिनांक 01.10.2019 को दोपहर 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	बैठने की क्षमता	दर / प्रति कि.मी. (100 कि.मी प्रतिदिन तक)	दर / प्रति कि.मी. (100 कि.मी प्रतिदिन से अधिक)
1.	अजमेर जिले के क्षेत्र भ्रमण के लिये मिनीबस व सम्पूर्ण राजस्थान राज्य हेतु	20 सीटर		
2.	अजमेर जिले के क्षेत्र भ्रमण के लिये बस व सम्पूर्ण राजस्थान राज्य हेतु	45 सीटर		

निविदा के नियम व शर्तें:-

1. बस/मिनीबस, वित्तीय वर्ष 2019-20 में अजमेर जिले के विभिन्न क्षेत्र में कृषकों को भ्रमण हेतु लाना-लेजाना होगा। राजस्थान राज्य के क्षेत्र में भी भ्रमण शामिल है।
2. वाहन का ऑल राजस्थान परमिट होना आवश्यक है।
3. वाहन का परमिट, वाहन का बीमा, चालक लाइसेंस होना आवश्यक है।
4. भ्रमण के दौरान अकस्मात किसी भी घटना की स्थिति में वाहन चालक एवं वाहन की क्षतिपूर्ति के लिए वाहन मालिक ही पूर्णतया जिम्मेदार होगा।
5. वाहन से सम्बंधित किसी भी तरह के खर्च को वाहन मालिक स्वयं वहन करालेगा।
6. निविदा को निरस्त करने के सभी अधिकार, निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेंगे।
7. निविदादाता द्वारा सभ्य पर मात्रा हेतु वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर सम्बंधित व्यक्ति / फर्म पर सख्त कार्रवाही की जावेगी एवं फर्म / व्यक्ति को कोई शुगतान नहीं किया जायेगा।
8. किराया (यदि जी.एस.टी. देय/लागू) को दरें प्रति कि.मी. के हिसाब से देय होंगी, जिसमें डीजल, ऑयल, टोल-टेक्स, स्टेट सेंड्री फीस, नाईट चार्ज, पार्किंग-चार्ज, परमिट एवं अन्य कर/ खर्च आदि बस मालिक द्वारा देय होगा।

9. गाड़ी का ग्रेन्टीनेन्स एवं चालक, परिचालक का खर्च बस-मालिक द्वारा देय होगा।
10. बस के समस्त कागजात पूर्ण होना अनिवार्य हैं व यात्रा के दौरान वाहन के साथ होने चाहिए।
11. बस में बैठने हेतु सीट आरामदायक होनी चाहिए तथा सामान (लगेज) हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
12. बस में म्यूजिक सिस्टम सही कंडीशन में होना अनिवार्य हैं।
13. बस के ग्लास एयर टाइट होना अनिवार्य हैं।
14. चालक एवं परिचालक का वर्दी में होना आवश्यक हैं तथा इनका दैनिक खर्चा बस मालिक द्वारा वहन करना होगा।
15. बस भ्रमण के दिन सूचना अनुसार समय पर कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर में उपलब्ध करवानी होगी।
16. निविदाओं को निरस्त एवं स्वीकार के अधिकार अथो हस्ताक्षर कर्ता के अर्थात् सुरक्षित रहेंगे।
17. बस सप्तम क्रम की सिफारिश के बाद ही स्वीकृत या अस्वीकृत की जायेगी।
18. मार्ग में वाहन खराब होने की स्थिति में दूसरी बस समय पर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
19. भ्रमण के लिए 7 दिवस पूर्व सूचित किया जायेगा।
20. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी।
21. निविदा के साथ GST, PAN, GST नम्बर, आयकर / बिक्री कर रिवरिमेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। आर.टी.ओ. सम्बन्धी दस्तावेज (एन) प्रस्तुत करें।
22. निविदाएँ, निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में जिस पर "बस सेवा के लिए निविदा" लिखा हो प्रस्तुत करनी होगी।
23. निविदा में काँट-घाँट नहीं होनी चाहिए। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
24. धरोहर राशि रु. 3000/- (अक्षरे रु. तीन हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट से कार्यक्रम सञ्चालक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर (Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Ajmer) के नाम जमा करानी होगी। धरोहर राशि कार्य समाप्ति के पश्चात लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई व्याज देय नहीं होगा।
25. कार्य न करने / कार्य बीच में छोड़ने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
26. कार्य, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की शर्तों के अनुसार करना होगा।
27. किसी भी प्रकार के विवाद पर न्यायक्षेत्र अजमेर होगा।
28. न्यूनतम निविदा पर जिसे निविदा समिति उचित न समझे कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

29. निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर को होगा।
30. निविदा फार्म के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:-
- ट्रेवल रजिस्ट्री की स्थिति में रजिस्ट्री का लाइसेंस
 - बस मालिक की स्थिति में बस की आर. सी. की दाय्य प्रति सत्यापित।
 - जी.एस.टी. यदि देय। लागू है तो जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा कर चुकता प्रमाण पत्र। आर. टी. ओ. सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज।
 - बस के परमिट की दाय्य प्रति सत्यापित।

भेजें। हमने निविदा की हिन्दी में लिखित सभी शर्तें पढ़ ली हैं/समझ ली हैं, जो कि मुझे/हमें पूर्णतः स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
गय पूर्ण पता

(कार्यक्रम समन्वयक)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरिष्ठ है-

1. इंचार्ज, सिमक को भेजकर लेख है कि, उक्त निविदा को विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करने का प्रम करें।
2. निदेशक, प्रसार शिक्षा, श्री क. न. कृ. वि. वि., जोबनेर (जयपुर)
3. कोषाधिकारी, श्री क. न. कृ. वि. वि., जोबनेर (जयपुर)
4. विन प्रियंत्रक, श्री क. न. कृ. वि. वि., जोबनेर (जयपुर)
5. संयोजक / सदस्य, निविदा समिति, कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर
6. सूचना पट्ट, कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर; पंचायत मन्त्र, पंचायत समिति अजमेर

(कार्यक्रम समन्वयक)